

राजस्थान सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/निकाशि/2011-12/406 दिनांक - 28/06/2012

संशोधन आदेश

आदेश क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/2011-12/339, 340-380 दिनांक
20.06.2012 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. बिन्दू संख्या 2 में बजट शीर्ष 2202-2-03-(02) के स्थान पर बजट शीर्ष
2202-03-103-(02) पढा जावे ।




(सुबीर कुमार)
निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/निकाशि/2011-12/407-447 दिनांक - 28/06/2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
6. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को आवश्यकता अनुसार
बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु ।
7. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान/सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय
कार्यालय / प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली



मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर